

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि० आ०-सा० नि०) अनुभाग-7
संख्या: २।/XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक ३ जनवरी, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित मत्तों को दिनांक 01-02-2019 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वैच्छिक परिवार कल्याण मत्ता।
- (2) प्रतिनियुक्ति मत्ता।
- (3) प्रशिक्षण मत्ता।
- (4) जी० पी० एफ० पासबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन मत्ता।
- (5) फैंस (रोकड़) मत्ता।
- (6) द्विभाषी मत्ता/कम्प्यूटर मत्ता।
- (7) आई०पी०ए०ओ० मत्ता (कोषागार/उपकोषागार)।
- (8) सचिवालय में तैनाती पर विशेष मत्ता।
- (9) स्नातकोत्तर मत्ता।
- (10) राजस्व विभाग के संघर्ष अमीनों को देय लेखन सामग्री मत्ता।
- (11) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिपूर्ति मत्ता।
- (12) अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन मत्ता।
- (13) अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन मत्ता।
- (14) स्पेशल टॉस फोर्स (एस.टी.एफ.) को अनुमन्य विशेष मत्ता।
- (15) सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन मत्ता।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: २। (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

1.7
upload करे
अले
23.1.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिसासी अभियन्ता

आज्ञा से,
(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।